नागरिक पंजीकरण प्रणाली **(Civil Registration System)**

जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969
व
उत्तराखण्ड आदर्श नियमावली 2003

द्वारा : एस. एस. नेगी
उप निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तराखण्ड
गृह मंत्रालय, भारत सरकार

विषय-सूची

- जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 एवं राज्य उत्तराखण्ड की आदर्श नियमावली 2003
- अधिनियम, 1969 की प्रमुख विशेषतायें /प्रावधान
- राज्य उत्तराखंड में पंजीकरण इकइयो का वर्गीकरण

अधिनियम, 1969 की प्रमुख विशेषतायें /प्रावधान

- ✓ जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए पूरे देश में एक समान कानून।
- ✓ सभी जन्म और मृत्यु की रिपोर्टिंग और पंजीकरण अनिवार्य।
- ✓ अधिनियम के कार्यान्वयन को 'समन्वय और एकीकृत' करने का दायित्व भारत के महारजिस्ट्रार का होगा।
- ✓ नाम के बिना भी बच्चे के जन्म पंजीकरण का प्रावधान
- ✓ प्रमाण पत्र में नाम बाद में भी दर्ज किये जाने का प्रावधान है परन्तु पंजीकरण की तारीख से 15 साल बाद नहीं।

✓ जारी.....

अधिनियम, 1969 की प्रमुख विशेषतायें /प्रावधान

- ✓ घटनाओं की रिपोर्टिंग/पंजीकरण न करने पर जुर्माने का प्रावधान
- ✓ जन्म / मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना
- ✓ प्रविष्टियों के सुधार या रद्दीकरण का प्रावधान
- ✓ 21 दिनों के भीतर पंजीकरण होने पर निःशुल्क जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना।
- ✓ विलंबित पंजीकरण के लिए प्रावधान
- ✓ जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार को घटना घटित होने के स्थान और अपने अधिकार क्षेत्र में ही करन

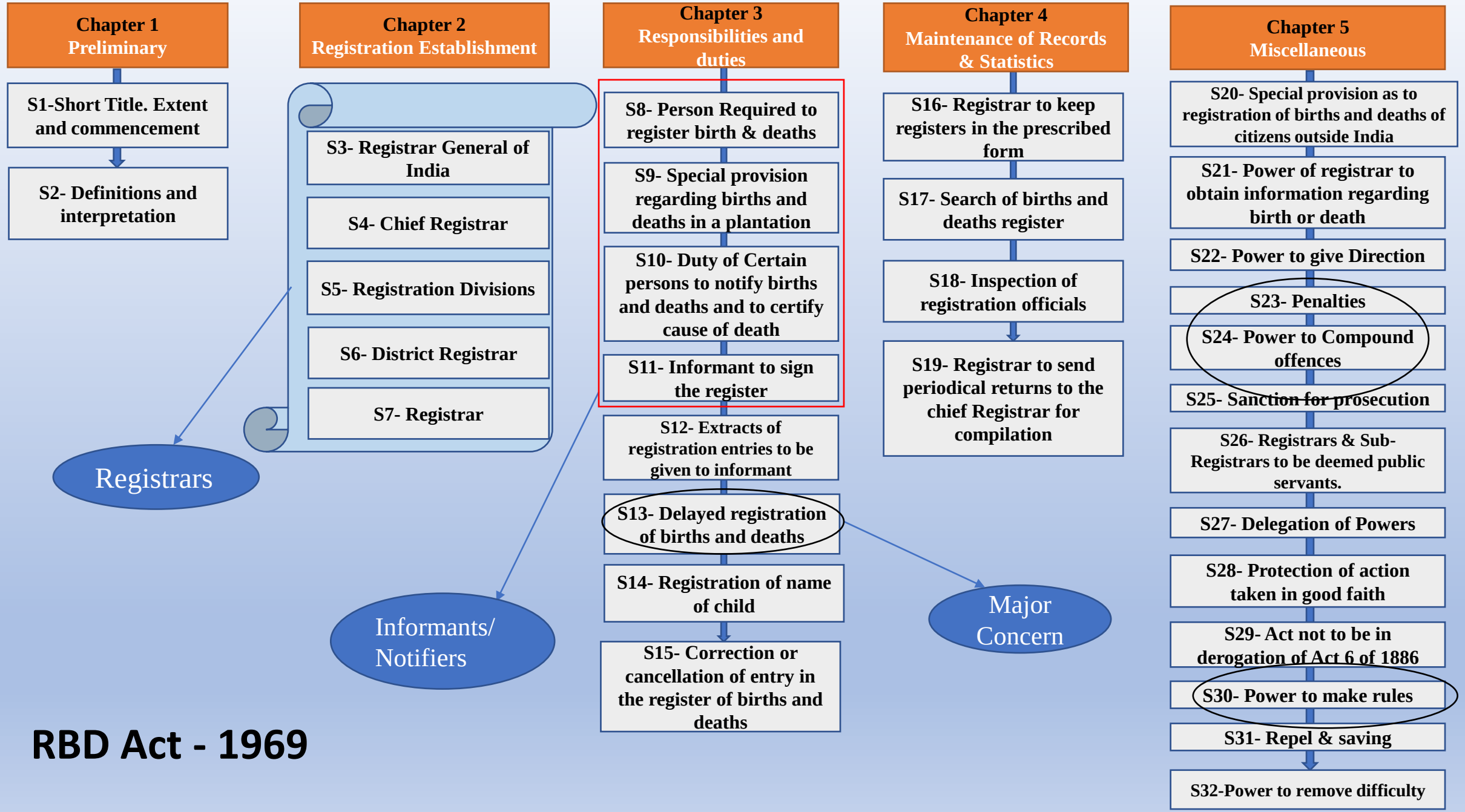

RBD Act - 1969

Chapter 1 Preliminary
- S1-Short Title. Extent and commencement
- S2- Definitions and interpretation

Chapter 2 Registration Establishment
- S3- Registrar General of India
- S4- Chief Registrar
- S5- Registration Divisions
- S6- District Registrar
- S7- Registrar

Registrars

Chapter 3 Responsibilities and duties
- S8- Person Required to register birth & deaths
- S9- Special provision regarding births and deaths in a plantation
- S10- Duty of Certain persons to notify births and deaths and to certify cause of death
- S11- Informant to sign the register
- S12- Extracts of registration entries to be given to informant
- S13- Delayed registration of births and deaths
- S14- Registration of name of child
- S15- Correction or cancellation of entry in the register of births and deaths

Informants/ Notifiers

Major Concern

Chapter 4 Maintenance of Records & Statistics
- S16- Registrar to keep registers in the prescribed form
- S17- Search of births and deaths register
- S18- Inspection of registration officials
- S19- Registrar to send periodical returns to the chief Registrar for compilation

Chapter 5 Miscellaneous
- S20- Special provision as to registration of births and deaths of citizens outside India
- S21- Power of registrar to obtain information regarding birth or death
- S22- Power to give Direction
- S23- Penalties
- S24- Power to Compound offences
- S25- Sanction for prosecution
- S26- Registrars & Sub-Registrars to be deemed public servants.
- S27- Delegation of Powers
- S28- Protection of action taken in good faith
- S29- Act not to be in derogation of Act 6 of 1886
- S30- Power to make rules
- S31- Repel & saving
- S32-Power to remove difficulty

अधिनियम, 1969 की प्रमुख विशेषतायें /प्रावधान

❖ इस अधिनियम में कुल 05 अध्याय एवं 32 धारायें हैः-

(धारा 1-2):-

➢अधिनियम के नाम और जीवित जन्म, मृत्यु, मृत जन्म आदि की परिभाषा से संबंधित

(धारा 3-7):-

➢रजिस्ट्रेशन में संलग्न पदाधिकारियों की नियुक्ति व उनकी भूमिका एवं कर्तव्य से संबंधित

(धारा 3):-

➢केन्द्र सरकार भारत के रजिस्ट्रार जनरल की नियुक्ति करती है।

➢जन्म- मृत्यु पंजीकरण एवं समन्वय के संबंध में सामान्य निर्देश जारी करना तथा मुख्य पंजीयकों की गतिविधियों को एकीकृत करना।

➢जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के कामकाज पर केंद्र सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

अधिनियम, 1969 की प्रमुख विशेषतायें /प्रावधान

(धारा 4):-

- राज्य सरकार, मुख्य रजिस्ट्रार की नियुक्ति करती है, जो आरबीडी अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए राज्य में मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी है।
- राज्य सरकार एवं भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा एक वार्षिक रिपोर्ट एवं सांख्यिकीय रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

(धारा 5):-

- राज्य के क्षेत्र को पंजीकरण कार्य के लिए वर्गीकृत करना।

(धारा 6):-

- राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिए जिला रजिस्ट्रार और अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार की नियुक्ति करती है।
- वे जिले में अधिनियम के प्रावधानों के निष्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं।

अधिनियम, 1969 की प्रमुख विशेषतायें /प्रावधान

(धारा 7):-

- 7 (1) राज्य सरकार प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र के लिए एक रजिस्ट्रार नियुक्त करती है
- 7(2) पंजीकरण, उनकी घटना के स्थान पर किया जाएगा
- 7(3) रजिस्ट्रार का उस स्थानीय क्षेत्र में एक कार्यालय होगा जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया है।
- 7 (4) रजिस्ट्रार अपने कार्यालय में उपस्थित होगा और कार्यालय के बाहरी दरवाजे के पास एक बोर्ड लगाएगा जिस पर उसका नाम, उसकी उपस्थिति के दिन और घंटे अंकित होंगे।
- 7 (5) रजिस्ट्रार, मुख्य रजिस्ट्रार की मंजूरी से एक निर्दिष्ट क्षेत्र के लिए उप रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकता है और उन्हें अपनी कोई या सभी शक्तियाँ और कर्तव्य सौंप सकता है।

Registration Hierarchy

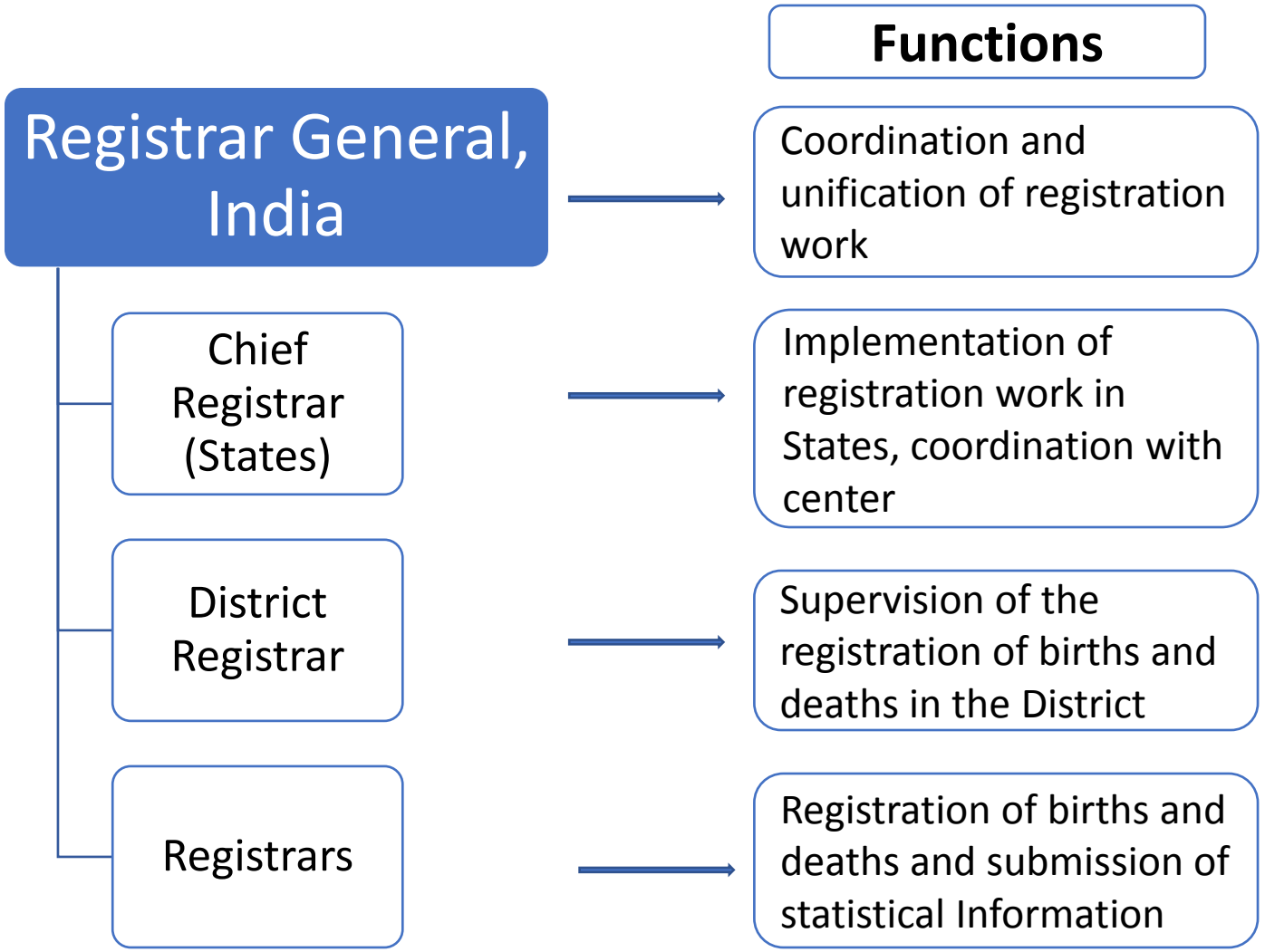

The Registration Hierarchy (Births and Deaths)

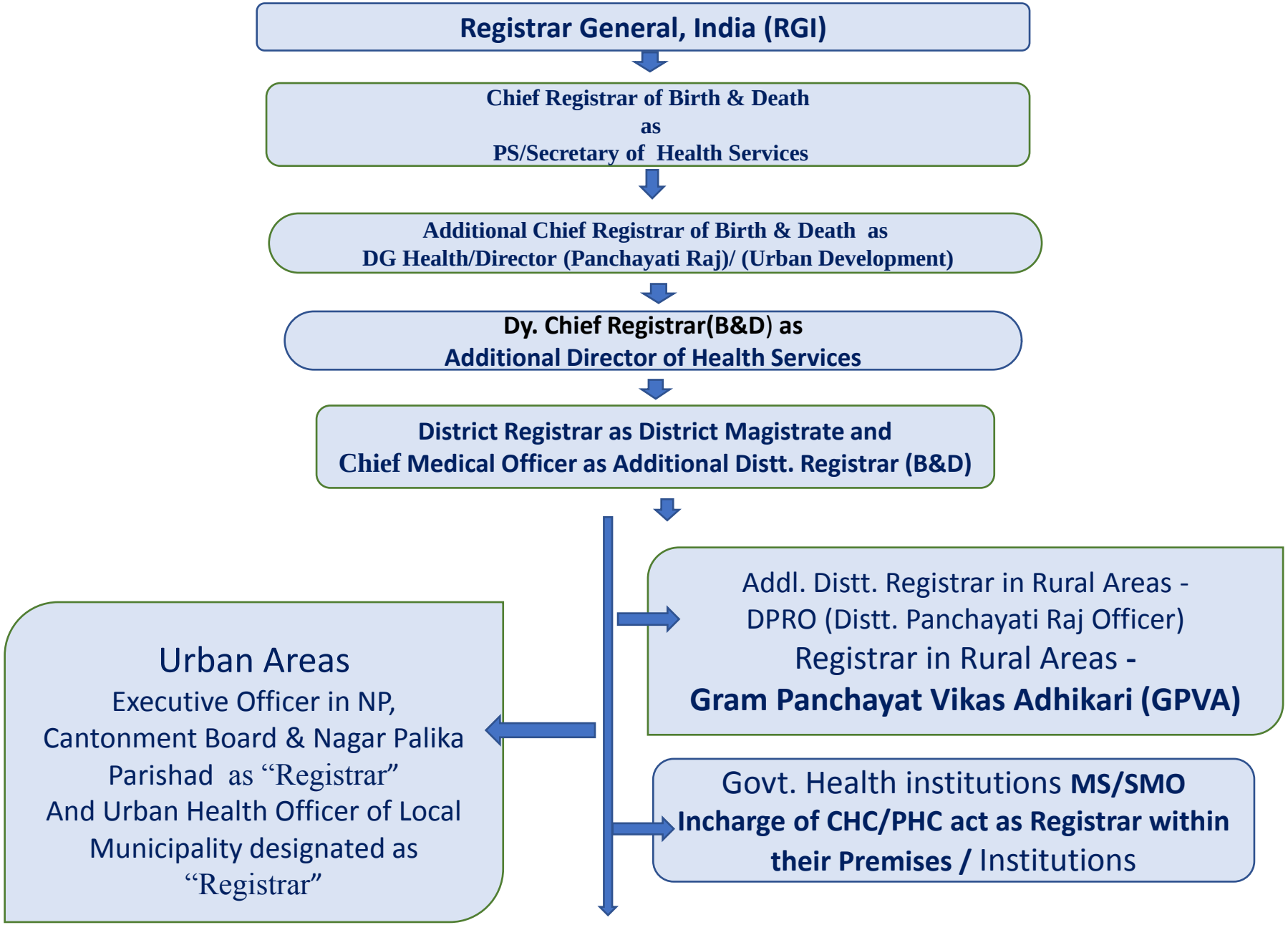

अधिनियम, 1969 की प्रमुख विशेषतायें /प्रावधान

(धारा 8):-

- जन्म और मृत्यु की घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए आवश्यक विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों (सूचनादाता) पर निश्चित जिम्मेदारी।

(धारा 9):-

- बागान (चाय बागान, कॉफी बागान आदि) क्षेत्र में घटित घटनाओं के पंजीकरण के सम्बन्ध में।

(धारा 10):-

- यह धारा नोटिफायर की नियुक्तियों से संबंधित है और मृत्यु के कारण के चिकित्सा प्रमाणन का प्रावधान करता है।
- रजिस्ट्रार को जन्म/मृत्यु की सूचना देने के लिए निर्दिष्ट व्यक्तियों जैसे- दाई, स्वास्थ्य परिचारक और श्मशान भूमि, जेल, होटल आदि के रखवाले या मालिक को नोटिफायर के रूप में नियुक्ति करना। वे जिले में अधिनियम के प्रावधानों के निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं।

Notifiers

The person who notifies to the Registrar of the event at which he/she attended

	Dai who attended or was present, or the event occurred in his/her area of jurisdiction
	Auxiliary Nurse Midwife (ANM) / Lady Health Visitor (LHV) who attended or was present, or the event occurred in his/her area of jurisdiction
	Accredited Social Health Activist (ASHA), Health worker who attended or was present, or the event occurred in his/her area of jurisdiction
	Anganwadi Worker (AWW) who attended or was present, or the event occurred in his/her area of jurisdiction
	Person-in-charge (of the place where dead bodies are kept) (Caretaker of burial and burning grounds) who attended or was present, or the event occurred in his/her area of jurisdiction

Notifier/Informant

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1
संख्याः /XXVIII–1/04(299)2002टी0सी0
देहरादून : दिनांक 05 दिसम्बर, 2021

अधिसूचना

राज्यपाल, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 8 सपठित धारा 10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण के लिये निम्नलिखित व्यक्तियों को नीचे अनुसूची में दर्शाये गये विवरण अनुसार, उनके स्थानीय क्षेत्र के भीतर जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण के लिये अधिसूचक(Notifier) घोषित करते हैं:–

अनुसूची

जन्म–मृत्यु होने का स्थान	अधिसूचक (Notifier)	सूचक (Informant)
1	2	3
घर	ए0एन0एम0/आशा/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सफाई कर्मचारी	घर का मुखिया
अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप केन्द्र, स्वास्थ्य सुविधा, नर्सिंग होम आदि।	–	स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरूष/महिला)/स्टाफ नर्स/ए0एन0एम/स्वास्थ्य सुविधा व नर्सिंग होम के प्रभारी
जेल	–	जेलर/कारागार अधीक्षक
होटल, धर्मशाला, छात्रावास, सरकारी भवन/कार्यालय, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट आदि।	–	प्रभारी/व्यवस्थाधिकारी
लोक स्थान	–	ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सदस्य/ब्लॉक पंचायत सदस्य/सभासद/पार्षद/नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य/सफाई कर्मचारी/स्थानीय पुलिस स्टेशन का प्रभारी (चौकी इंचार्ज/थाना प्रभारी/पुलिसकर्मी/ग्राम चौकीदार आदि)
सचल वाहन कार, तांगा, रिक्शा, हवाई जहाज, नाव, जहाज, रेल आदि।	–	सचल वाहन का प्रभारी

अधिसूचक (Notifier) (कालम–2) वह व्यक्ति है, जो रजिस्ट्रार को निर्धारित फॉर्म व समय में प्रत्येक जन्म और मृत्यु अथवा दोनों जिसकी उसने परिचर्या की हो या उस समय उपस्थित था/थी, और जो उस रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र में घटित हुई हो, को अधिसूचित करेगा। रजिस्ट्रार को जन्म, मृत्यु या मृत जन्म की घटना होने की तारीख से 21 दिन के अन्दर ही अधिसूचित (Notify) करने का समय निर्धारित है। रजिस्ट्रार को रिपोर्ट करने से पहले अधिसूचक को रिपोर्टिंग फार्म पर सूचक से हस्ताक्षर लेने होंगे।

17/01/22

(डा0 पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव।

Informants by place of occurrence of event under CRS

Place of occurrence	Informants
House	▪ Head of the household
Institution Hospital, Health facility, Nursing home, etc. Jail Hotel, Dharamshala, Choultry, hostel, etc.	▪ Medical Officer-in-charge or any person authorized by the MO I / C ▪ Jailor-in-charge ▪ Person In-charge
Public place (For any new-born or dead body found deserted)	▪ Headperson / Other corresponding Officer (in case of a Village) ▪ Officer in-charge of local police station (in other areas)
Events in Moving vehicle / Conveyance cart, Tonga, Rickshaw on land, Aircraft, Boat, Ship, Rail, etc.	▪ Person in-charge of the moving vehicle
Plantation	▪ Suprintendent (Supervisor of labourers) / Plantation Managers

अधिनियम, 1969 की प्रमुख विशेषतायें /प्रावधान

(धारा 11):-

- सूचनादाता को रजिस्ट्रर पर हस्ताक्षर करने होंगे और अपना नाम विवरण और निवास स्थान डालना होगा।

(धारा 12):-

- यह धारा रजिस्ट्रार को पंजीकरण पूरा होते ही धारा 8 या धारा 9 के तहत जानकारी देने वाले व्यक्ति को जन्म या मृत्यु से संबंधित निःशुल्क प्रमाण पत्र प्रदान करने के सम्बन्ध में है।

(धारा 13):-

- यह धारा विलंबित पंजीकरण से संबंधित है।

- यदि 21 दिनों की सामान्य रिपोर्टिंग अवधि के भीतर जन्म/मृत्यु की सूचना नहीं दी जा सकती है, तो घटनाओं के विलंबित पंजीकरण का भी प्रावधान है।

घटनाओं का विलम्बित रजिस्ट्रेशन

देरी का समय		
21 दिन से अधिक और 30 दिन के भीतर [धारा 13(1)]	30 दिन से अधिक और एक साल के अन्दर [धारा 13(2)]	एक साल से अधिक [धारा 13(3)]
विलम्बित फीस 2रु०/-	विलम्बित फीस 5रु०/-	विलम्बित फीस 10रु०/-
आज्ञा/अनुज्ञा देने वाले अधिकारी		
रजिस्ट्रार / उप रजिस्ट्रार	तहसीलदार (ग्रामीण क्षेत्र)/अधिशाषी अधिकारी (नगरीय क्षेत्र)	प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट **(S.D.M.)**
प्रक्रिया		
सूचक/ सूचनादाता द्वारा निर्धारित फीस जमा करने पर	विहित अधिकारी की लिखित अनुज्ञा से और नोटरी पब्लिक या राज्य सरकार द्वारा अन्य प्राधिकृत अधिकारी का एफिडेविट पेश किये जाने पर और निर्धारित फीस अदा करने पर	कोई जन्म या मृत्यु जो कि उसके होने के एक वर्ष के भीतर रजिस्ट्रीकृत नहीं की गयी हो, वह सत्यापन करने के पश्चात प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेशों पर और निर्धारित फीस अदा करने पर

अधिनियम, 1969 की प्रमुख विशेषतायें /प्रावधान

(धारा 14)

इस धारा के अंतर्गत बच्चे के नाम का रजिस्ट्रेशन बाद में भी करवाया जा सकता है

- अगर जन्म का रजिस्ट्रेशन बिना नाम के हुआ है तो नाम की प्रविष्टि उक्त तारीख से 12 महीने के अन्दर मौखिक या लिखित रूप से सूचना देने पर निःशुल्क हो सकती है।

- राज्य नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत रजिस्ट्रार, जन्म रजिस्टर में बारह माह के बाद परन्तु 15 वर्ष के अन्दर माता-पिता अथवा संरक्षक द्वारा सूचना दिए जाने एवं विहित फीस का भुगतान करने पर नाम की प्रविष्टि कर सकता है।

अधिनियम, 1969 की प्रमुख विशेषतायें /प्रावधान

(धारा 15)

यह धारा प्रविष्टि को ठीक या रद्द करने की अनुमति प्रदान करती है

- सामान्यतः जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन रिकार्ड में कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं होती। यद्यपि विशेष परिस्थितियों में प्रविष्टि को ठीक करने या रद्द करने की व्यवस्था है।
- अशुद्धियाँ मुख्यतः तीन प्रकार में वगीकृत की गयी हैः लिपिकीय या औपचारिक, प्रारूप या सार में गलती और अनुचित या कपटपूर्ण प्रविष्टि।

(धारा 16)

- रजिस्ट्रार को जन्म-मृत्यु का रजिस्टर निर्धारित प्रारूप में रखना होगा और मुख्य रजिस्ट्रार को पर्याप्त संख्या में रजिस्टर और फॉर्म उपलब्ध कराने होंगे।

अधिनियम, 1969 की प्रमुख विशेषतायें /प्रावधान

(धारा 17)

तलाशी और उद्धरण/प्रमाण पत्र जारी किया जाना

- यदि कोई घटना रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन के लिए आई है तो रजिस्ट्रार को पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि यह घटना पहले तो रजिस्टर नहीं हो चुकी है ।
- रजिस्ट्रेशन रिकार्ड में इस तरह की तलाशी दोहरे रजिस्ट्रीकरण को रोकने के लिए जरूरी है। तलाशी करने का प्रमाणित प्रमाण पत्र फॉर्म न. 10 में सूचनादाता को देना होता है।

(धारा 18)

रजिस्टेशन कार्यालय का निरीक्षण

- यह धारा पंजीकरण कार्यालयों के निरीक्षण के प्रावधान से संबंधित है जिसके अंतर्गत उसमें रखे गये रजिस्टरों की जाँच की जा सकती है।

अधिनियम, 1969 की प्रमुख विशेषतायें /प्रावधान

(धारा 19)

- यह धारा रजिस्ट्रार से मासिक रिटर्न के नियमित रिपोर्टिंग और मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सांख्यिकीय रिपोर्ट निर्धारित करती है
- रजिस्ट्रार को निर्धारित समय सीमा के भीतर मुख्य रजिस्ट्रार या उसके द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी को मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी अनिवार्य है
- इसी प्रकार मुख्य रजिस्ट्रार को पंजीकृत जन्म और मृत्यु पर वार्षिक सांख्यिकीय रिपोर्ट भी तैयार कर केंद्र को प्रस्तुत करना अनिवार्य है

Flow Chart of Monthly Reporting System

मुख्य रजिस्ट्रार

राज्य के सभी रजिस्ट्रीकृत जन्म मृत्यु की समेकित मासिक रिपोर्ट अगले माह की 15 तारीख तक)

जिला रजिस्ट्रार

जिलेवार रजिस्ट्रीकृत जन्म मृत्यु की समेकित मासिक रिपोर्ट (अगले माह की 10 तारीख तक)

रजिस्ट्रार

रजिस्ट्रीकृत जन्म मृत्यु की मासिक रिपोर्ट (अगले माह की 5 तारीख तक)

Monthly Reporting Format (Annexure-4)

अनुलग्नक-4 (Annexure -4)

(राज्य मे पंजीकृत जन्म, मृत्यु, शिशु मृत्यु तथा मृत जन्म की संख्या जिले व महीने के अनुसार)

Registered Births, Deaths, Infant Deaths and Still Births district/month-wise information of States/Uts

State- Uttarakhand | **Month-** | **Year-**

जिले का नाम (Name Of District)	ग्रामीण/शहरी (Rural/Urban)	कुल पंजीकृत इकाईया / No. of Registration Units (RUs)	कुल पंजीकृत इकाईया जिनकी मासिक रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है / No. of RUs who have submitted monthly return	रिपोर्टिंग लेवेल / Level of Reporting (%) (4 / 3 *100)	कुल पंजीकृत जन्म (No. of Registered Births)			कुल पंजीकृत मृत्यु (No. of Registered Deaths)			कुल शिशु मृत्यु (1 वर्ष से कम आयु) No. of Infant Deaths (Less than 1 year			कुल बाल मृत्यु/ No. of Child Deaths (Age 1 year or more but Less than 5 years)			(कुल पंजीकृत मृत जन्म)/ No. of Registered Still Births		
					(पुरुष) Male	(महिला) Female	कुल योग/ Total (6 + 7)	(पुरुष)/ Male	(महिला)/ Female	कुल योग/ Total (9 +10)	(पुरुष)/ Male	(महिला)/ Female	कुल योग/ Total (12 +13)	(पुरुष)/ Male	(महिला)/ Female	कुल योग/ Total (15 +16)	(पुरुष)/ Male	(महिला)/ Female	कुल योग / Total (18 +19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Rural																		
	Urban																		
	Total																		
Total																			

अधिनियम, 1969 की प्रमुख विशेषतायें /प्रावधान

(धारा 20)

भारत से बाहर नागरिकों के जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण से सम्बंधित

- भारत से बाहर जन्में ऐसे बच्चे जिनके माता पिता भारत में बसने की दृष्टि से भारत वापस आएं है, उनके भारत पहुँचने की तारीख से साठ दिन के भीतर किसी भी समय, बच्चे का जन्म इस अधिनियम के अधीन उसी रीति से पंजीकृत करा सकेगें मानों बालक का जन्म भारत में हुआ था।

- हालाँकि, विदेश में हुई मृत्यु की घटना को भारत में पंजीकृत नहीं किया जा सकता है।

(धारा 21)

जन्म या मृत्यु के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने की रजिस्ट्रार की शक्तियाँ

- रजिस्ट्रार किसी व्यक्ति से, या तो मौखिक या लिखित रूप से, यह अपेक्षा कर सकेगा कि जिस परिक्षेत्र में वह व्यक्ति निवास करता है उसमें हुए जन्म या मृत्यु संबंधी कोई सूचना प्राप्त की जा सके।

जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण की प्रक्रिया

भारत से बहार हुई जन – मृत्यु की घटनाएं

संबंधित भारतीय दूतावास / उच्चायोग में नागरिकता अधिनियम (1955 का 57) के तहत बनाए गए नागरिक (भारतीय वाणिज्य दूतावासों में पंजीकरण) नियम, 1956 के तहत पंजीकृत

जन्म के मामले में, जब बच्चे के माता-पिता वहां बसने के लिए भारत लौटते हैं, तो भारत में बच्चे के आगमन की तारीख से 60 दिनों के भीतर जन्म का पंजीकरण कराया जा सकता है।

मृत्यु के मामले में, भारतीय दूतावास/उच्चायोग में जारी किया गया मृत्यु प्रमाण पत्र आरबीडी अधिनियम के तहत जारी किए गए मृत्यु प्रमाण पत्र के बराबर माना जाएगा और सभी उद्देश्यों को पूरा करेगा।

अधिनियम, 1969 की प्रमुख विशेषतायें /प्रावधान

(धारा 22)

निर्देश देने की शक्ति

- इस धारा के अंतर्गत यदि आवश्यक हो तो केंद्र सरकार इस अधिनियम, नियम या आदेश के प्रावधान को लागू करने के लिए किसी भी राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है।

(धारा 23)

धारा विभिन्न अपराधों के लिए दंड निर्धारित करती है

(धारा 23-25):-

- गैर-रिपोर्टिंग, झूठी रिपोर्टिंग या लापरवाही के लिए या पंजीकरण से इनकार करने के लिए दंड निर्धारित किया गया है। गैर-रिपोर्टिंग या देर से रिपोर्ट करने के लिए चिकित्सा संस्थानों पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है।
- इस अधिनियम में जो शक्तियां दी गयी है, उसके अधीन धारा 23 के अन्तर्गत जिला/मुख्य रजिस्ट्रार किसी भी ऐसे व्यक्ति पर जुर्माना लगा सकते हैं जो बिना किसी उचित कारण के धारा 8 और 9 के प्रावधानों के अनुसार अपने कर्तव्यों से बंधा हुआ तो है पर सूचना न दे पाए (अधिकतम जुर्माना 50 रूपये)

अधिनियम, 1969 की प्रमुख विशेषतायें /प्रावधान

(धारा 26-29):-

- धारायें रजिस्ट्रारों को लोक सेवक घोषित करती हैं और सुरक्षा प्रदान करती हैं।
- पंजीयक और उप पंजीयक भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के तहत लोक सेवक माने जाते हैं।

(धारा 30):-

- केंद्र सरकार के अनुमोदन से राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार देना।
- रजिस्ट्रार को जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्र को 12 महीने या उससे अधिक की अवधि के लिए अपने पास रखना होता है और उसके बाद सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिला रजिस्ट्रार या नियमों के तहत निर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी को हस्तांतरित कर दिया जाता है।

(धारा 31):-

- पंजीकरण पर पहले के कानूनों को निरस्त करता है।

(धारा 32):-

- केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

Registration of Births and Deaths Act-1969 and Uttarakhand State Rules -2003

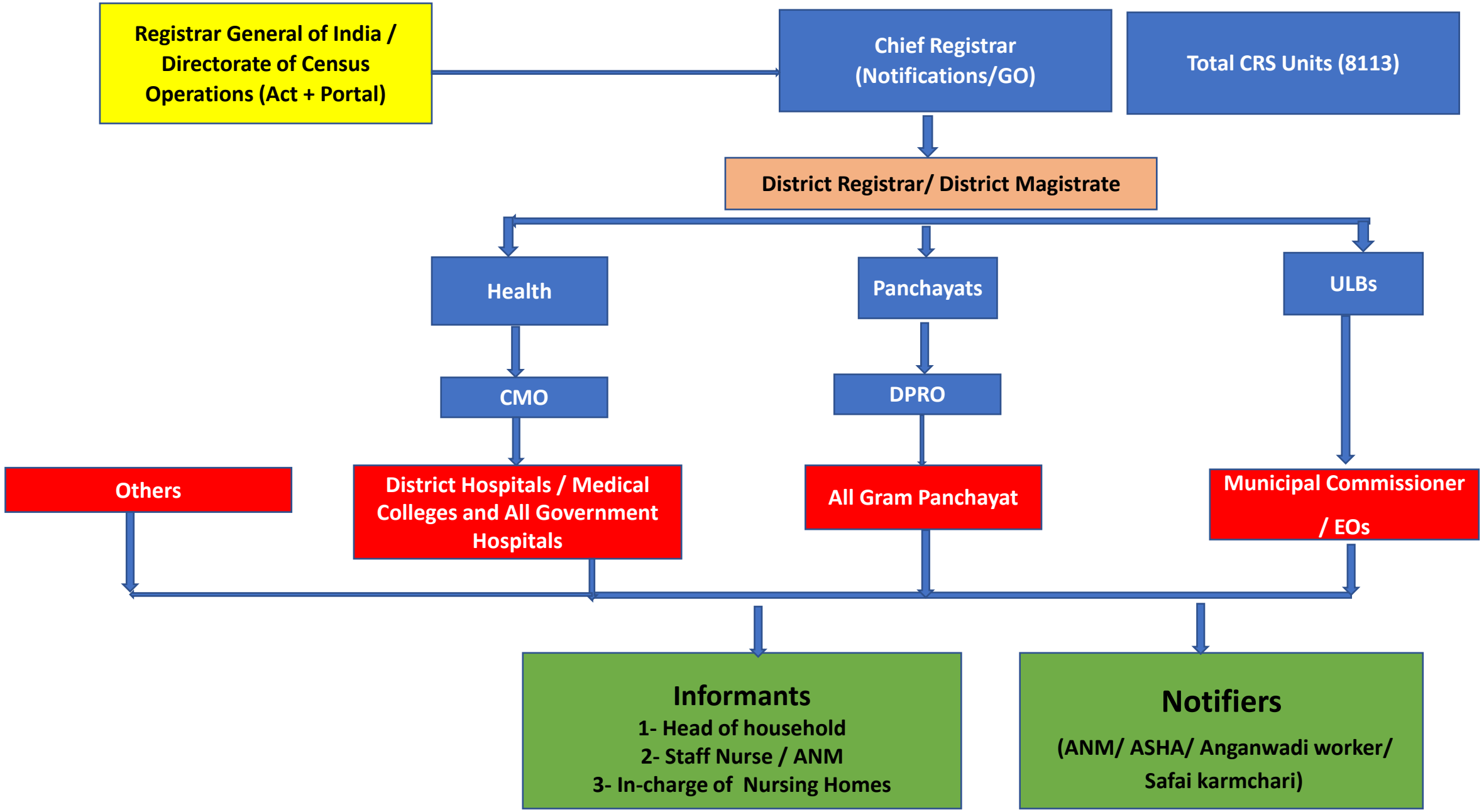

भारत की जनगणना
CENSUS OF INDIA
2021

धन्यवाद

Office Of The Directorate Of Census Operations,
Ministry Of Home Affairs,
Uttarakhand, Dehradun